चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) – अंतिम दिशानिर्देश पर दिनांक 17 मई 2018 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.106/21.04.098/2017-18

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
1	8.1	डेरिवेटिव देयता राशियों की गणना डेरिवेटिव देयताओं की गणना पहले डैरिवेटिव संविदाओं (बाज़ार भाव पर दर्शाकर प्राप्त) के प्रतिस्थापन लागत के आधार पर की जाती है जहां संविदा का मूल्य ऋणात्मक होता है। यदि डेरिवेटिव एक्सपोज़र योग्य द्विपक्षीय नेटिंग संविदा से रक्षित हैं, जैसा कि बासल III पूंजी विनियमों पर मास्टर परिपत्र के अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट किया गया है, तो संविदा से रक्षित डेरिवेटिव एक्सपोज़र के सेट की प्रतिस्थापन लागत निवल प्रतिस्थापन लागत होगी। एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताओं की गणना में, डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में, विभेद मार्जिन के रूप में रखे गए संपार्श्विक आस्ति प्रकार से प्रभावित हुए बिना, ऋणात्मक प्रतिस्थापन लागत राशि से घटाई जाएगी। *फूट नोट 3: वर्तमान में, मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.15.3.9 में उल्लिखित शर्तों के अधीन, बैंकों द्वारा केवल योग्य केंद्रीय प्रतिपक्षकार (क्यूसीसीपी) को एक्सपोज़र के संबंध में ही संगत हैं। ओटीसी डैरिवेटिव के संबंध में, बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – कांउंटरपार्टी ऋण एक्सपोजरों की द्विपक्षीय नेटिंग पर दिनांक 1 अक्तूबर 2010 का परिपत्र देखें। जैसा कि उसमें उल्लिखित किया गया है, डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बाज़ार दर पर अंकित (एमटीएम)मूल्यों को द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी गई है।*	डेरिवेटिव देयता राशियों की गणना डेरिवेटिव देयताओं की गणना पहले डैरिवेटिव संविदाओं (बाज़ार भाव पर दर्शाकर प्राप्त) के प्रतिस्थापन लागत के आधार पर की जाती है जहां संविदा का मूल्य ऋणात्मक होता है। यदि डेरिवेटिव एक्सपोज़र योग्य द्विपक्षीय नेटिंग संविदा से रक्षित हैं, जैसा कि बासल III पूंजी विनियमों पर मास्टर परिपत्र के अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट किया गया है, तो संविदा से रक्षित डेरिवेटिव एक्सपोज़र के सेट की प्रतिस्थापन लागत निवल प्रतिस्थापन लागत होगी। एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताओं की गणना में, डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में, विभेद मार्जिन के रूप में रखे गए संपार्श्विक आस्ति प्रकार से प्रभावित हुए बिना, ऋणात्मक प्रतिस्थापन लागत राशि से घटाई जाएगी। *फूट नोट 3: हटाया गया ~~वर्तमान में, मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.15.3.9 में उल्लिखित शर्तों के अधीन, बैंकों द्वारा केवल योग्य केंद्रीय प्रतिपक्षकार (क्यूसीसीपी) को एक्सपोज़र के संबंध में ही संगत हैं। ओटीसी डैरिवेटिव के संबंध में, बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – कांउंटरपार्टी ऋण एक्सपोजरों की द्विपक्षीय नेटिंग पर दिनांक 1 अक्तूबर 2010 का परिपत्र देखें। जैसा कि उसमें उल्लिखित किया गया है, डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बाज़ार दर पर अंकित (एमटीएम)मूल्यों को द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी गई है।~~*